भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4229
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन</u>

4229. श्री कीर्ति आजादः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष ज्वारीय ऊर्जा से कुल विद्युत उत्पादन (मिलियन किलोवाट घंटे में) राज्यवार कितना हुआ;

(ख) भारत में ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापित क्षमता (मेगावाट में) का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर अवस्थित हैं तथा उनकी परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए कोई पायलट परियोजना या व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में ज्वारीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने में किन-किन चुनौतियों की पहचान की गई है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास अपनी नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति के हिस्से के रूप में ज्वारीय ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना या नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): अब तक, देश में पिछले दस वर्षों में किसी भी राज्य में ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने क्रेडिट रेटिंग इंफोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) के साथ मिलकर दिसंबर, 2014 में 'भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा: संभाव्यता और रोडमैप के प्रस्ताव पर सर्वेक्षण' शीर्षक से एक अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार, ज्वारीय ऊर्जा की संभाव्यता लगभग 12,455 मेगावाट होने का अनुमान है। अब तक कोई पायलट परियोजना स्थापित नहीं की गई है।

(घ) ज्वारीय ऊर्जा अभी भी अनुसंधान एवं विकास के प्रारंभिक चरण में है और भारत में ज्वारीय ऊर्जा को बड़े स्तर पर अपनाने में प्रमुख चुनौतियों में उच्च पूंजीगत लागत और तकनीकी बाधाएं शामिल हैं।

(ङ) मंत्रालय, देश में कुशल और किफायती तरीके से ज्वारीय ऊर्जा सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण को विकसित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के माध्यम से 'नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (आरई-आरटीडी)' को कार्यान्वित कर रहा है। आरई-आरटीडी कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता और उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को 70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****